पटना में दिनांक–22 जून, 2016 बुधवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह (कारा) विभाग

1. राज्य के आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में पायलट परियोजना के रूप में मोबाईल फोन जैमर के अधिष्ठापन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) द्वारा समर्पित ₹ 6,50,96,939/– (छः करोड़ पचास लाख छियानवे हजार नौ सौ उनचालीस रूपये मात्र) के योजना प्रस्ताव की मनोनयन के आधार पर स्वीकृति।

1. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

2. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को उप सचिव स्तर पे–बैंड ₹15,600–39,100/–, ग्रेड पे ₹6,600/– से अपर समाहर्ता स्तर पे–बैंड ₹15,600–39,100/–, ग्रेड पे ₹7,600/– में प्रोन्नति देने के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर, पे–बैंड ₹37,400– 67,000/–, ग्रेड पे ₹8,700/– से अपर सचिव/समकक्ष स्तरके पद, पे–बैंड ₹37,400– 67,000/–, ग्रेड पे ₹8,900/– में प्रोन्नति देने के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

4. बिहार राज्य के माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा प्रहरी तथा संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च हेतु प्रतिमाह स्वीकृत राशि क्रमशः ₹14,000/– (चौदह हजार) एवं ₹12,000/– (बारह हजार) प्रतिमाह तथा दूरभाष भत्ता 1500 कॉल की अधिकतम सीमा तक प्रतिमाह स्वीकृति के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

5. मो० तनवीरूल कमर (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–989/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी–सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवाजीनगर, समस्तीपुर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

6. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पदाधिकारियों को उप सचिव/समकक्ष स्तर पे–बैंड ₹ 15,600–39,100–ग्रेड पे ₹ 6,600/– में प्रोन्नति देने के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

7. बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में वरीय उप समाहर्त्ता एवं विशेष कार्य पदाधिकारी के 402 पद तथा अपर समाहर्त्ता/समकक्ष स्तर में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 पद, कुल 432 पदों के अस्थायी रूप से सृजन से संबंधित विभागीय राज्यादेश सं०–3983 दिनांक–03.05.2010 एवं 8487 दिनांक–30.08.10 तथा उनके अवधि विस्तार से संबंधित राज्यादेश सं० 14187 दिनांक–30.08.13 के साथ अनुलग्न व्यय विवरणी में विशेष वेतन हेतु आकलित राशि 500/–रू० (पाँच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह से संबंधित कॉलम को आदेश निर्गत की तिथि से विलोपित करने तथा CWJC NO-2259/2014 में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिनांक–06.01.2016 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक–03.05.2010 से लेकर उक्त कॉलम को विलोपित करने की तिथि तक की अवधि में आलोच्य व्यय विवरणी में विशेष वेतन हेतु आकलित राशि 500 (पाँच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान करने के संबंध में। 7. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

9. विभागान्तर्गत नवस्वीकृत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम तथा कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार के लिए स्वीकृत कर्मप्रमुख एवं कर्मशाला अनुदेशक के पदों का स्वीकृत वेतनमान क्रमशः पीबी–2+4200 एवं पीबी–1+2800 के स्थान पर पीबी–2+5400 एवं पीबी–2+4200 संशोधित करने की स्वीकृति के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

निगरानी विभाग

10. निगरानी विभाग के नियंत्रणाधीन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के क्रम में निर्गत पत्र संख्या 3815, दिनांक–11.03.2016 को क्षान्त करने के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

11. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131ञ की कंडिका (ग) को शिथिल करते हुये राज्य सरकार के 7 निश्चय के अन्तर्गत युवाओं को संवाद कला तथा प्रारंभिक कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण तथा राज्यव्यापी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये Knowledge FrameWork Provider, E-Content Provider तथा Implementation Support Agency को एकल निविदा के आधार पर निविदा निष्पादन की स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

कृषि विभाग

13. बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं बाजार समितियों के समायोजित कर्मियों/पदाधिकारियों के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–4452/2012 रामसूरत सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं छः अन्य सदृश मामलों में दिनांक–22.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम 2006 की धारा–6 के तहत गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा दिनांक–25.01.2016 की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद/बाजार समितियों के समायोजित कर्मियों/ पदाधिकारियों की सेवा की निरंतरता बनाये रखने, उनकी संवर्गीय वरीयता का निर्धारण करने तथा इन कर्मियों को सेवान्त लाभ देने के मामले में पर्षद/बाजार समितियों के विघटन के पूर्व की स्थिति बनाये रखने संबंधी प्रस्ताव में स्वीकृति। 13. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

14. "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report-DPR) के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में सम्भावित व्यय 11070.00 लाख रूपये तथा 5 वर्षों में संभावित व्यय 50196.00 लाख रूपये एवं अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत् विषयों की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

15. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच को वित्तीय वर्ष 2016–17 में नियत (प्रतिमाह) भत्ता भुगतान एवं पूर्व वर्षों के बकाया भत्ता भुगतान हेतु ₹ 2,59,55,00,000.00 (दो अरब उनसठ करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

15. **स्वीकृत।**